Sem 6 Paper XIV

unit 4 Environmental Policies

4.1 : pollution control system and policy in India

4.2 Concepts and Indications of Sustainable Development

4.3 Environmental Accounting.

भारत की पर्यावरण नीति

स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से उत्साहित भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1972 में National committee on Environmental Planning and cooperation का गठन किया। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे। यह कार्य 1976 में किया गया, जब संविधान में 42 वें संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को संविधान में

में शामिल किया गया। 1976 में राज्य के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि "राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार का प्रयास करेगा।" पर्यावरण समस्या से उत्पन्न समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए 1980 में 'पर्यावरण विभाग' स्थापित किया गया तथा 1985 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर नीति-निर्णय लेने वाली तथा आवश्यक वैज्ञानिक व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था है।

इस मंत्रालय की गतिविधियों में पर्यावरण की सुरक्षा, मौजूदा वनों, वन्यजीवों, जलीय निकायों तथा जल संसाधनों, जैव विविधता और अन्य संसाधनों विशेषकर पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील होनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और तत्सम्बन्धी दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय करना, वनस्पति एवं जीव

जन्तुओं की नई प्रजातियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना, विकृत क्षेत्रों में वनारोपण, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, वानिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। मई 2006 में भारत की व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई। प्रमुख बिन्दु इस तरह हैं :—

(1) जल की गुणवत्ता में सुधार —

प्रथम प्रमुख पर्यावरण अधिनियम 1974 में पारित जल अधिनियम था। यह जल प्रदूषण रोकने की दिशा में गंभीर प्रयास था। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल संसाधनों के एकीकृत विकास व प्रबंधन पर जोर दिया गया ताकि सतही जल व भूमिगत जल का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय नदियों, झीलों, ताल आदि की संरक्षण के लिए केन्द्र

प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' तथा राष्ट्रीय झील पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय संरक्षण प्रदान करता है।

2. वायु की गुणवत्ता में सुधार - 1981

में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक 'वायु अधिनियम' लागू किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले वर्गों के अधीन 2200 मध्यम व बड़ी प्रदूषण करने वाली इकाइयों की पहचान की गई तथा उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 28 राज्यों में 4 केन्द्रशासित राज्यों में वायु की गुणवत्ता का संचालन 308 स्टेशनों की सहायता से करता है ताकि (i) उपयुक्त मापदंडों के आधार पर सही वायु गुणवत्ता का अनुमान प्राप्त हो सके। (ii) लोगों के स्वास्थ्य पर तथा अन्यों की गुणवत्ता पर वायु-

Scanned with CamScanner

प्रदूषण के प्रभावों को रोका जा सके।

(iii) उपयुक्त संरक्षात्मक एवं सुधार कदम उठाए जा सकें।

(iv) प्राकृतिक परिशोधन प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 — भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुई लापरवाही के कारण 1986 में एक व्यापक पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह प्रदूषण को रोकने, कम करने या नियन्त्रित करने के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कदम उठाना चाहती है, उठा सकती है।

4. खतरनाक अपशिष्ट तथा बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियम — भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1989 में खतरनाक अपशिष्ट नियम की घोषणा की।

इस संबंध में सरकार ने खतरनाक तत्व प्रबन्धन विभाग की स्थापना की जो खतरनाक रसायनों व तत्वों के प्लास्टिक के तथा अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबन्धन की व्यवस्था करता है। नार्थ मेडिकल अपशिष्ट नियम 1998 में जारी किए गए तथा 2002 व 2003 में इनमें संशोधन किए गए।

5. पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन - इसका उद्देश्य है कि धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले विकास गतिविधियों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को भी शामिल किया जा सके।

6. वानस्पतिक उद्यानों की सहायता -

दुर्लभ स्थानीय पौधों के संरक्षण व रख-रखाव के लिए 1992 में वानस्पतिक उद्यानों की सहायता की योजना लागू की गई है।

Scanned with CamScanner

7. पर्यावरण संबंधी अनुसंधान - पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय 1985 से पर्यावरण संबंधी अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण के बेहतर प्रबन्धन के लिए उपयुक्त प्रविधियों, तकनीकों तथा विधियों का पता लगाने हेतु सूचना एकत्र करना है।

8. आपदा प्रबन्धन - पूर्व के अनुभवों को संज्ञान में लेते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 लागू किया गया। इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया।

9. पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता व प्रशिक्षण - पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2015-16 में राष्ट्रीय हरित कसले कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

Scanned with CamScanner

4.2 सतत विकास की अवधारणाएं तथा सूचक

मानव की प्रगति एवं विकास का आधार उसके द्वारा प्रकृति अथवा पर्यावरण का उपयोग है। विश्व आयोग के ब्रंटलैण्ड प्रतिवेदन में संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रकार परिभाषित किया है, " धारणीय अथवा टिकाऊ विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।"

सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :

(i) ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें निर्णय की प्रक्रिया में नागरिक कारगर रूप से भाग लेते हों।

(ii) ऐसी आर्थिक प्रणाली जो अपने परिश्रम से और टिकाऊ तौर पर अधिशेष और प्राद्योगिक ज्ञान पैदा करता हो।

(iii) ऐसी सामाजिक प्रणाली, जिसमें गैर - सामंजस्यपूर्ण विकास से

Scanned with CamScanner

उठाने वाले तनावों को सुलझाने का व्यवस्था है।
(iv) ऐसी उत्पादन प्रणाली जो विकास की पारिस्थितिक आधार की सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य मानती है।
(v) ऐसी प्रौद्योगिकी प्रणाली जो निरन्तर नए सुझाव खोज सके।
(vi) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली जो व्यापार व वित्त के टिकाऊ तौर तरीकों को बढ़ाता है।
(vii) ऐसी प्रशासनिक प्रणाली जो लचीली है और जिसमें अपनी भूलों को सुधारने की क्षमता है।
टिकाऊ विकास के लक्ष्य निम्नलिखित है :-
(i) वृद्धि को पुनर्जीवित करना
(ii) वृद्धि के स्वरूप को बदलकर बनाना
(iii) रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल व स्वच्छता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
(iv) जनसंख्या को रखना ही रखना कि पोषण स्थायी तौर पर हो सके।
(v) संसाधन स्रोतों का संरक्षण एवं परिवर्द्धन करना।

(vi) प्रौद्योगिकी को दिशा देना तथा खतरों के लिए उपाय करना।

(vii) नीतिगत निर्णयों में पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र का समन्वय करना है।

धारणीय विकास के घटक

धारणीय विकास की धारणा बहुआयामी पर्यावरण प्रबन्धन को इंगित करती है। विकास की इस अवधारणा में स्थानीय पर्यावरण एवं उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय हित में प्रयोग इस तरह किया जाए कि प्रकृति की गुणवत्ता का ह्रास न हो साथ ही विकास के कार्यों में किसी तरह की रुकावट भी न पड़े, इस तरह सतत विकास के अन्तर्गत पर्यावरण एवं समाज के हितों के अनुकूल, विकास के कार्यक्रमों को योजनाबद्ध रूप से निर्मित कर क्रियान्वित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

भारतीय कृषि विकास में रसायनिक उर्वरकों एवं खतरनाक कीटनाशकों के स्थान पर जैव - उर्वरकों एवं जैव - कीटनाशकों का प्रयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को भविष्य में भी सुरक्षित रखना संभव होगा। सदा में जो खतरनाक रसायन प्रयोग कर भूमि प्रदूषित करते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास के अन्तर्गत उद्योगों के प्रदूषण फैलाने से मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है। विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में वृहत उद्योग, मध्यम स्तरीय उद्योग एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं। भारतीय विकास के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है, जो उपभोक्ता एवं पूंजी वस्तुओं का निर्माण तो करें, परन्तु वस्तु की कीमत पर समाज को प्रदूषित नहीं करें।

इन प्रयोगों के आस - पास वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। ये प्रदूषण एवं शोर - गुल को सोखकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं।

प्रदूषण मुक्त परिवहन धारणीय विकास का एक अन्य संकेतक है। अल्पविकसित देशों में परिवहन के साधन के रूप में स्कूटर, मोटर साइकिलों रेलों आदि का उपयोग होता है जो हानिकारक धुएं का उत्सर्जन कर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। अतः धारणीय विकास के अन्तर्गत परिवहन के ऐसे साधनों का विकास किया जाना चाहिए जो विषैली गैसों का उत्सर्जन न करें। विकसित देशों में किए जा रहे प्रयास को विकासशील देशों में भी अपनाया जाना चाहिए।

" प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना भी सतत्पोषणीय विकास का एक सूचक है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोत कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इन दोनों

संयंत्रों से विद्युत उत्पादन करने पर पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। अतः ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रदूषण मुक्त वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण - अल्पविकसित देशों में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि गरीबी एवं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अतः टिकाऊ धारणीय विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण विकासशील देशों की अनिवार्य आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

5.3 पर्यावरण लेखा

Environmental Accounting

वर्तमान में इन कम्पनियों तथा अन्य संगठनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जो प्रबन्धक रणनीति के एक भाग के रूप में पर्यावरणीय प्रबन्धन को भी सम्मिलित कर रहे हैं, ताकि वे पर्यावरणीय अवनयन से उत्पन्न समस्याओं का आन्तरिक समाधान कर पर्यावरण संरक्षण हेतु कतिपय सार्थक प्रयास कर सकें।

नॉर्वे ही वह प्रथम देश था जहाँ 1970 के दशक में पर्यावरणीय लेखों का निर्माण किया गया। नीदरलैंड भी पर्यावरण लेखे के विकास तथा उसको अंगीकार करने वाले देशों में अग्रणी रहा। यहाँ National Accounting matrix Including Environmental Accounts (NAMEA) का विकास किया गया, जिसे दूसरे देशों ने

अंगीकार किया। वर्तमान में नामीबिया तथा चिली जैसे कई देश पर्यावरणीय लेखों का निर्माण कर रहे हैं।

पर्यावरणीय लेखा के बहुत से आयाम हैं। संक्षेप में यह पर्यावरणीय लागतों का अभिज्ञान, माप तथा आवंटन है। पर्यावरणीय लेखा का उद्देश्य सतत या स्थायी विकास को प्राप्त करना, समाज के साथ अनुकूल संबंधों को बनाए रखना और प्रभावी तथा दक्ष पर्यावरणीय संरक्षण क्रियाकलापों की पैरवी करना है। इसके अन्तर्गत, पर्यावरणीय संरक्षण की पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभावों के नियंत्रण खर्च तथा पर्यावरणीय अवनयन के प्रभावों से बचाव तथा इससे उपजा संकट के पुनरुद्धार आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

पर्यावरण लेखा के कार्यों को आन्तरिक कार्यों तथा बाह्य कार्यों में विभाजित किया जाता है -

(i) <u>आन्तरिक कार्य</u> - कम्पनी के पर्यावरणीय सूचना तंत्र के एक कदम के रूप

आन्तरिक कार्य पर्यावरणीय संरक्षण लागत के संचालन को संभव बनाता है तथा पर्यावरणीय संरक्षण क्रियाओं की लागत तथा प्राप्त लाभ के विश्लेषण में सहायता करता है।

(ii) बाह्य कार्य - बाह्य कार्यों के अन्तर्गत कम्पनी पर्यावरणीय संरक्षण क्रियाकलाओं के परिमाणात्मक रूप से माप किए गए परिणामों को प्रदर्शित करते हुए निर्णय-नियंता पणधारियों यथा- उपभोक्ताओं निवेशकों तथा स्थानीय निवासियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है।

बाह्य कार्य कम्पनी के पर्यावरणीय क्रियाकलापों की सूचना को पणधारियों तक पहुँचाने में प्रभावी होते हैं। पर्यावरणीय रिपोर्ट के माध्यम से पर्यावरणीय लेखा समंक सार्वजनिक किए जाते हैं। तथा इस कम्पनी के पर्यावरणीय क्रियाओं की अवस्थिति को प्रकट करते हैं तथा कम्पनी द्वारा उपयोग

गए ठोस उपायों को स्पष्ट करते हैं। अतः पर्यावरणीय लेखा कम्पनी के बाहर के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायक बनता है तथा उचित तथा न्यायसंगत कारपोरेट मूल्यांकन को सहज एवं सरल बनाती है।

पर्यावरण लेखा के मूलभूत आयाम

(i) प्रासंगिकता (relevance) - पर्यावरणीय लेखों को कम्पनी के पर्यावरणीय संरक्षण की लागतों तथा सम्बद्ध कार्यों में होने वाले लाभों से संबंधित वैध सूचनाओं को उपलब्ध कराना चाहिए जो पणधारियों के निर्णय निर्माण में सहायक होता है।

(ii) विश्वसनीयता - पर्यावरणीय लेखा में दी गई सूचनाएं विशुद्ध, यथार्थ तथा त्रुटिहीन हो और लागतों तथा लाभों को चित्रित करने वाली होनी चाहिए। इसके द्वारा प्रदर्शित सूचना स्पष्ट तथा निष्पक्ष एवं समझ प्रकार की होनी चाहिए।

(iii) बोधगम्यता – पर्यावरणीय लेखा में दिखाए गए आंकड़े सुस्पष्ट तथा बोधगम्य होने चाहिए। इससे कम्पनी के पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित किए गए उपायों को समझने तथा उस पर निर्णय लेने में आसानी होगी।

(iv) तुलनात्मकता – पर्यावरणीय लेखा संबंधी आंकड़े इस तरह होने चाहिए ताकि उसी कम्पनी के विभिन्न वर्षों अथवा वर्ष दर वर्ष की सूचनाओं की तुलना की जा सके और साथ ही अन्य समकक्ष कम्पनियों के आंकड़ों से उनकी तुलना करना संभव हो सके। इससे पणधारियों के बीच होने वाली किसी भ्रांति की संभावना से बचा जा सकेगा।

(v) पर्यावरणीय लेखा आंकड़े उद्देश्यानुरूप होने चाहिए तथा उनमें प्रमाणिकता का गुण पाया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

पर्यावरणीय लेखा के संरचनात्मक घटक

1) पर्यावरणीय संरक्षण लागत – इसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण निवारण, कमी, पर्यावरणीय संघात से बचाव, पर्यावरणीय संघात को समाप्त करने, क्षतिग्रस्त आपदा का पुनरुद्धार करने तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय के मौद्रिक मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत निवेश की मात्रा से अभिप्राय वृद्धि परिव्यय है, जो नियत समय में पर्यावरण संरक्षण हेतु आवंटित किया जाता है।

2) पर्यावरणीय संरक्षण लाभ – इसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण निवारण, कमी, पर्यावरणीय संघात से बचाव, पर्यावरणीय संघात को समाप्त करने, क्षतिग्रस्त आपदा का पुनरुद्धार करने तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाओं से प्राप्त लाभ को मौद्रिक इकाइयों में मापा जाता है।

3) पर्यावरणीय संरक्षण क्रियाओं से सम्बद्ध आर्थिक लाभ – पर्यावरणीय संरक्षण क्रियाओं को अपनाये जाने के फलस्वरूप कम्पनी को होने वाले लाभ से प्राप्त फायदे के मौद्रिक मूल्य को इसके अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

1) Environmental conservation cost – Investments and expenses related to the prevention, reduction, or avoidance of environmental impact, removal of such impact, restoration following the occurrence of a disaster and other activities

2) Environmental conservation benifit – Benifits obtained from the prevention, reduction or avoidance of environmental impact, removal of such impact, restoration following the occurrence of a disaster and other

Scanned with CamScanner

activities.

37 Economic benefit associated with environmental conservation activities - Benefits to company's profits as a result of carrying forward with environmental conservation activities.

उपर्युक्त वर्णित पर्यावरणीय लागतों में सामाजिक लागतों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सामाजिक लागतें कम्पनियों को सामान्य लागत भार से भिन्न होती हैं। यह वे लागतें होती हैं, जो कम्पनी के व्यवसाय से समाज पर पड़ने वाले संघात के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

पर्यावरण लेखा की कमियां -
(1) पर्यावरणीय लेखा की कोई मानक एवं सर्वमान्य विधि नहीं है।
(2) यदि पर्यावरणीय लेखा की विधियां अलग - अलग हैं तब दो फर्मों अथवा देशों के बीच इसका तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है।

Scanned with CamScanner

(3) पर्यावरण लेखे के लिए होने वाले निवेश का सहजता से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण से सम्बन्धित लागतों तथा लाभों का सहजता से माप नहीं किया जा सकता।

(4) यह मुख्यतया कम्पनी के आन्तरिक लागतों पर विचार करता है तथा सामाजिक लागतों की उपेक्षा करता है।

(5) पर्यावरणीय लेखा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। इसे वित्तीय लेखा के साथ समन्वित करना होता है जोकि सरल नहीं है।

(6) पर्यावरणीय लेखा को लेखा के अन्य पहलुओं के साथ विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से सम्बन्धित लागतें तथा लाभ एवं वित्तीय लेखा, प्रबन्धन लेखा व लागत लेखा पर निर्भर करता है।

(7) पर्यावरणीय लेखा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अतः इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होते हैं।

—— x ——